

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 729/2011/उदयपुर

मैसर्स अशोका मिनरल्स

उदयपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

विशेष वृत, उदयपुर

प्रत्यर्थी

अपील संख्या 730/2011/उदयपुर

मैसर्स कृष्णा मिनरल्स एण्ड ट्रेडर्स

उदयपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

विशेष वृत, उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एम.एल.देवपुरा

सी.ए.

श्री एस.के. उपाध्याय

सहायक आयुक्त

निर्णय दिनांक: 21.10.2014

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलीर्थी व्यवहारियों की ओर से उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 85 एवं 86/आरवैट/10-11 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक अधिकारी, विशेष वृत-उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 का आदेश दिनांक 13.05.2010 को पारित करते हुए आगत कर को अस्वीकार किया है, जिसे यथावत रखकर अपीलें अस्वीकार की हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा सोपस्टोन का उत्खनन कर स्वयं द्वारा स्थापित प्लवरलाइजिंग (Pulverizing) में उसे पीस कर पाउडर की बिक्री करते हैं। उक्त कार्य करने हेतु मशीनरी की खरीद अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा की गई हैं, जिस पर आगत कर चाहा गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलें अस्वीकार कर अपीलाधीन संयुक्तादेश पारित किया है। उक्त अपीलाधीन संयुक्तादेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा सोपस्टोन का उत्खनन कर स्वयं द्वारा स्थापित प्लवरलाइजिंग (Pulverizing) में उसे पीस कर पाउडर की बिक्री करते हैं। उनका कथन है कि उक्त कार्य करने हेतु मशीनरी की खरीद अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा की गई है, जिस पर आगत कर चाहा गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए खनन हेतु प्रयुक्त मशीनरी पर आगत कर देय नहीं मानते हुए अपीलें अस्वीकार की हैं, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर दोनों अपीलों स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से सहायक आयुक्त श्री एस.के. उपाध्याय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारीगण एक खननकर्ता हैं एवं कैपिटल गुड्स जो खनन कार्य हेतु खरीदे गये हैं, और खनन, निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए आगत कर देय नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं विधिक उपबन्धों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा सोपस्टोन का उत्खनन कर स्वयं द्वारा स्थापित प्लवरलाइजिंग (Pulverizing) में उसे पीस कर पाउडर की बिक्री करते हैं। उक्त कार्य करने हेतु मशीनरी की खरीद अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा की गई है, जिस पर आगत कर चाहा गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया है। आई.टी.सी. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती है। इसलिए उक्त प्रश्न के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा 18 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –


(a) sale within the State of Rajasthan; or



- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "**except those as may be notified by the State Government,**" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "**being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale**" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

"(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases—


- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- 

- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it. 18

अधिनियम के उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया है कि "खनन से जुड़ी मशीनरी केमिटल गुड्स की श्रेणी में आती है। अतः अपीलार्थी को खनन हेतु प्रयुक्त मशीनरी पर आगत कर देय नहीं है...।"

अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष पूर्णतया विधिक होने से उसे यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य